न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/एल.आर/2315/2006/बूंदी

कजोड़ी पत्नि गणेश जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।

अपीलाण्ट

बनाम

1– संकरिया पुत्र नन्दा जाति बैरवा निवासी धाबाईयों का नया गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी।
2– तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी।

रेस्पोडेण्ट

एकल–पीठ
डॉ0 श्रवणकुमार बुनकर, सदस्य

उपस्थित
श्री घनश्याम सिंह लखावत, अभिभाषक, अपीलाण्ट
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय

दिनांक 21–2–2023

यह द्वितीय अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अंतर्गत राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा अपील संख्या 47/96 में पारित निर्णय दिनांक 15–7–1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम धाबाईयों का नया गांव तहसील हिण्डोली जिला बून्दी में कृषि भूमि खसरा नंबर 728/6 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नंबर 729 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा स्थित है। उक्त भूमि के 1/2 हिस्से पर वर्षों से अपीलार्थी के पति व उसके मृतक होने के पश्चात् अपीलार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है और वर्तमान में भी अपीलार्थी मौके पर काश्त करती आ रही है। तत्पश्चात् अपीलार्थी ने अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), बून्दी के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) प्रस्तुत कर उक्त आराजी जिसका आवंटन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 को दिनांक 5–1–1976 को किया गया था, उसे निरस्त करवाने का निवेदन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रशासन), बून्दी ने प्रकरण का निर्णय देते हुए दिनांक 17–9–1990 को अपीलार्थी का प्रार्थना–पत्र नियम 14(4) को स्वीकार कर अप्रार्थी को किया गया आवंटन दिनांक 5–1–1976 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय दिनांक 17–9–1990 से व्यथित होकर अप्रार्थी ने प्रथम अपील राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के समक्ष प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15–7–1996 द्वारा अपील को आंशिक स्वीकार किया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा द्वितीय अपील

माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। जिसके साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र भी पेश किया गया।

3– हमने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट द्वारा अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलीय न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि जिस भूमि का आवंटन प्रार्थी को किया गया है, उस पर प्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर नियमित रूप से काबिज नहीं था। वास्तविक स्थिति यह थी कि आराजी खसरा नंबर 728/6 रकबा 4 बीघा एवं खसरा नंबर 729 रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा पर वक्त आवंटन अपीलार्थिया के पति गणेश पुत्र नन्दा व संकरिया पुत्र नन्दा का 1/2, 1/2 कब्जा काश्त था और वर्तमान में भी अपीलार्थिया उक्त आराजीयात के 1/2 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। आवंटन आदेश दिनांक 5–1–1976 में खसरा नंबर 894 एवं 895 का अंकन किया गया है तथा आवेदन में भी इसी का अंकन है एवं कब्जा अप्रार्थी संकरिया के खसरा नंबर 728 एवं 729 का प्राप्त कर लिया है। अपीलार्थी को कब्जा प्राप्त नहीं हो, इस उद्देश्य से अन्य भूमि का आवंटन बाबत् तथ्य बताते हुए अपीलार्थीया को वंचित किया है। इस कारण खसरा नंबर 728 एवं 729 बाबत् जो प्रविष्ट की गयी है, वह निरस्त योग्य है। अप्रार्थी द्वारा जिलाधीश के निर्णय के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया तथा व निरस्त किया गया। उक्त आदेश दिनांक 29–4–1991 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत नहीं कर मूल आदेश के विरूद्ध जो मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की है, वह संधारण योग्य नहीं थी। इसके उपरान्त भी अपीलीय न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई विवेचन किये बिना निर्णय पारित किया है। अपीलार्थी एक ग्रामीण व अनपढ़ महिला है, जिसको निर्णय की पूर्ण जानकारी समय पर नहीं हो सकी। इसलिए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र संलग्न किया है, जिसके आधार पर अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाने का निवेदन किया। अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15–7–1996 को निरस्त किया जाकर अतिरिक्त कलेक्टर, बून्दी का निर्णय दिनांक 17–9–1990 बहाल रखा जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने लिखित बहस पेश की तथा कथन किया कि विवादग्रस्त भूमि दिनांक 5–1–1976 को अप्रार्थी संकरिया पुत्र नन्दा बैरवा को आवंटित की गई थी एवं तब से ही लगातार इस भूमि पर अप्रार्थी

संकरिया ही काबिज काश्त चला आ रहा है। कजोड़ी का कोई कब्जा नहीं है। अप्रार्थी संकरिया के नाम से गैरखातेदार भी दर्ज किया जा चुका है। अप्रार्थी आवंटन की गई भूमि के कीमत की किश्त भी जमा कराता चला आ रहा है। यह अपील मियाद बाहर है। अतः यह अपील खारिज की जावे। उन्होंने अपने कथन के समर्थन में लिखित बहस के साथ निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये– आर.आर.डी 2014 पृष्ठ 1293, आर.आर.डी. 2014 पृष्ठ 1349, आर.आर. डी. 2016 पृष्ठ 235 ।

5– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

6– सर्वप्रथम अपीलार्थिया द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 15–7–1996 के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 13–4–2006 को प्रस्तुत की गई है। इस बाबत् अपीलार्थिया ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र व शपथ–पत्र प्रस्तुत कर अवधि को विस्तारित करने का निवेदन किया है। इसके विरूद्ध रेस्पोर्डेट ने कोई शपथ–पत्र पेश नहीं किया है। अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र में अंकित है कि वह ग्रामीण परिवेश की अनपढ़ महिला है। इन कारणों पर विश्वास करते हुए तथा नरमी का रूख अपनाते हुए अपील में हुई देरी को माफ करते हुए अवधि को न्यायहित में विस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अवधि को विस्तारित किया जाता है।

7– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट ने दिनांक 14–10–1986 को एक प्रार्थना–पत्र जिला कलेक्टर, बूंदी के समक्ष प्रस्तुत कर संकरिया के नाम दर्ज भूमि के आधा हिस्सा पर कब्जा होने के आधार पर जमीन दिलवाने का निवेदन किया। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की तथा रेस्पोर्डेट के पेरोकार सरकार के जवाब प्राप्त कर अपने आदेश दिनांक 17–9–1990 को विवादित आराजी खसरा संख्या 728/6 रकबा 4 बीघा व 729 रकबा 2 बीघा भूमि ग्राम धाबाईयों का नयागांव तहसील हिण्डोली का संकरिया के नाम दर्ज गैर खातेदारी आवंटन निरस्त कर दिया तथा उपखण्ड अधिकारी नैनवां को नियमानुसार पुनः आवंटन हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। जिसके विरूद्ध रेस्पोर्डेट ने एक अपील राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के यहां पेश की, जो उन्होंने अपने आदेश दिनांक 15–7–1996 को स्वीकार कर अतिरिक्त जिला कलेक्टर का आदेश दिनांक 17–9–1990 को निरस्त कर दिया।

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने आदेश में यह अंकित किया है कि आवंटन के 14 वर्ष बाद कब्जा नहीं होने का आधार लिया जाकर गैर

खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता। यदि आवंटन तथ्य छिपाकर या कपट के आधार पर हुआ है तो निरस्त किया जा सकता है। केवल मौखिक साक्ष्यों के आधार पर गैर खातेदारी को निरस्त नहीं किया जा सकता है।

पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी सम्वत् 2042–2045 में उक्त आराजी खसरा संख्या 728/6 रकबा 4 बीघा एवं 729 मिन रकबा 2 बीघा 7 बिस्वा संकरिया पुत्र नन्दा बैरवा के नाम गैर खातेदारी में दर्ज है तथा उसके द्वारा लगान आदि जमा कराने की रसीदें भी पेश की है, जो कि उसके विविसम्मत आवंटन का प्रमाण है। राजस्थान भू–राजस्व (कृषि भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) में निम्न प्रावधान है–

“14- Conditions of Allotment-

(4) The Collector shall have the power to cancel any allotment made by a Sub-Divisional Officer (or a Tehsildar under the rules repealed by rule 21 of the rules) either suo-moto or on the application of any person in case the allotment has been secured through fraud or misrepresentation or has been made against rules or in case the allottee has committed breach of any of the conditions of allotment:

Provided that no such order to the prejudice of any person shall be passed without giving such person an opportunity of being heard.”

8– उक्त नियम के आधार पर उक्त आवंटन विधिसम्मत है तथा आवंटन को निरस्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अपीलार्थी का कब्जा होने पर भी ऐसे प्रार्थना–पत्र के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदत्त नहीं किये जा सकते, उसकी हसियत मात्र एक अतिकर्मी की हो सकती है।

9 उक्त विवेचन के आधार पर यह अपील स्वीकार योग्य नहीं है। अतः यह अपील खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. श्रवणकुमार बुनकर)

सदस्य